

प्रेषक,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनु0-6 लखनऊ : दिनांक 01 नवम्बर, 2017

विषय: फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत चिह्नित लघु एवं सीमान्त किसानों के
आँकड़ों के उपयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों के उन्नयन एवं सतत विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना तथा इसके अभिन्न अंग के रूप में एन.पी.ए. समाधान योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों को चिह्नित कर योजना में विहित अन्य मानदण्डों के अनुरूप ऋण मोचन का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

2- योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की गयी है जिसमें मुख्य विकास अधिकारी समिति-सचिव तथा जिला कृषि अधिकारी समिति- सह सचिव के रूप में नामित किये गये हैं जिनके कुशल नेतृत्व में लघु एवं सीमान्त कृषकों का सत्यापन उपरान्त चिन्हांकन कर फसल ऋण मोचित किया जा रहा है।

3- उक्त से स्पष्ट है कि योजना के क्रियान्वयन से जनपद स्तर पर लघु एवं सीमान्त कृषकों (जो योजना से आच्छादित हैं) का एक डिजिटली सत्यापित आँकड़ा उपलब्ध हो गया है जो भविष्य में सभी विभागों में अपने विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग में लाया जाना अत्यन्त उपादेय होगा। इससे जहाँ एक ओर समय की बचत होगी वहीं आँकड़ों में एकरूपता एवं पारदर्शिता भी बनी रहेगी। विभागों द्वारा उक्त से सम्बन्धित सूचना जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय

समिति से तथा एन.आई.सी. की राज्य इकाई से सम्पर्क कर पोर्टल (www.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in) के माध्यम से भी जनपदवार विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

4- अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्तानुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों के विषय में फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत उपलब्ध आँकड़ों का अपनी विभागीय आवश्यकतानुसार उपयोग में लाने का कष्ट करें।

भवदीय,



(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या— 1651 बी(1-4), तदिदनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से



(सी.एल.गुप्ता)
संयुक्त सचिव।